रजनीश श्रीवास्तव
आई.ए.एस.
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी
जिला : नीमच

☎ (07423) – 220083 (निवास)
223063 (कार्या.)
228500 (कार्या.)
dmneemuch@mp.nic.in

जावक क्रमांक..................

दिनांक..............................

क्रमांक / सामा.न्याय / स्थापना / 2017–18 / 549 नीमच दिनांक 9/5/2017

विज्ञापन

संचालक, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण, संचालनालय, म.प्र. भोपाल के पत्र क्रं / नि.क–1 / 2016 / 2636 / दिनांक 20.12.2016 के परिपालन में सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग के अंतर्गत स्पेशल स्कुल–मुक बधिर एवं छात्रावास तथा मानसिक विद्यालय संचालित किये जाने हेतु आवश्यक पदों की संविदा पद पर एक वर्ष हेतु नियुक्ति के लिये निम्नलिखित पदों की पूर्ति हेतु पात्र आवेदकों से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है। आवेदन पत्र उप संचालक सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग जिला नीमच को दिनांक 31.5.17 तक सांय 4.00 बजे तक प्राप्त हो जाना चाहिये। शेष अतिरिक्त जानकारी, आवश्यक अर्हता / योग्यता एवं नीमच जिले की एन.आई.सी. द्वारा विकसित बेवसाईट www.neemuch.nic.in अथवा कार्यालय उप संचालक सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग जिला–नीमच तथा कार्यालय कलेक्टर जिला–नीमच के नोटिस बोर्ड पर भी अवलोकन किया जा सकता है ।

रिक्त पदों का विवरण, आवश्यक अर्हता / योग्यता एवं निर्धारित मानदेय निम्नानुसार हैः–

क्र.	पदनाम	पदों की संख्या	पद हेतु न्यूनतम शैक्षणिक अर्हताएं	मानदेय प्रतिमाह
1.	बधिर शिक्षक	02	Graduate plus BEd or Graduate (General),BEd in Special Education with 2 years experience or Diploma in Special Education with 3 years experience, Or BRS with 1 year experience.	6,900/-
2.	वार्डन	01	Degree from recognized University with 5 year experience in disability related field.	5,200/-

DDRC

नियुक्ति संबंधी शर्ते :–

1. बधिर शिक्षक पद के लिए भारतीय पुनर्वास परिषद (आर.सी.आई.) का जीवित पंजीयन होना अति आवश्यक है, प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
2. यह नियुक्ति पूर्णतः संविदा पद पर 01 वर्ष के लिये किसी भी एक पक्ष द्वारा एक माह के नोटिस एवं एक माह का वेतन/मानदेय पर किसी भी समय संविदा नियुक्ति समाप्त की जा सकती है। 01 वर्ष पश्चात् सेवाएं संतोषप्रद पाये जाने पर समिति पुनः सेवा में वृद्धि कर सकेगी।
3. आवेदक की आयु 1.1.2017 को 18 वर्ष एवं अधिकतम 35 वर्ष होगी, एवं शासन के नियमानुसार आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार को शासन द्वारा प्रदत्त आयु सीमा में छूट दी जावेगी।
4. संविदा पर नियुक्त विषय विशेषज्ञ/कर्मचारी को शासन द्वारा निर्धारित मानदेय दिया जावेगा।
5. उम्मीदवार को आवेदन पत्र के प्रारुप अनुसार अपनी पूर्ण जानकारी,प्रमाण पत्रों की सत्यापित छायाप्रतिया संलग्न करना अनिवार्य होगा। कम योग्यता वाले आवेदन पत्र एवं शर्ते पूर्ण न होने की स्थिति आवेदन स्वयं ही निरस्त माना जावेगा। विशेष योग्यता वाले पदों में मान्यता प्राप्त संस्था के प्रमाण पत्र/पत्रोपाधि अनिवार्य होगी।
6. शैक्षणिक योग्यता एवं अन्य अर्हताएं संबंधी प्रमाण–पत्रों में किसी प्रकार की विसंगति पाए जाने पर सेवाएं समाप्त कर दी जावेगी।
7. आवेदक को आवेदन के साथ अपना पूर्ण पता लिखा हुआ रजिस्टर्ड डाक टिकट सहित लिफाफा संलग्न करना अनिवार्य है, ताकि साक्षात्कार हेतु सूचना प्रेषित की जा सकें साक्षात्कार में उपस्थित होने पर कोई यात्रा भत्ता नही दिया जावेगा।
8. चयनित उम्मीदवार को मुख्यालय पर ही रहना होगा चयनित उम्मीदवार को समिति द्वारा निष्पादित अनुबंध संविदा नियमों का पालन करना होगा तथा वारिष्ठ अधिकारियों के आदेश का पालन करना होगा।
9. संविदा पर नियुक्त विषय विशेषज्ञ/कर्मचारी म0प्र0 सिविल सेवा आचरण अधिनियम 1965 प्रभावशील होगा।
10. संविदा पर नियुक्त विशेषज्ञ/कर्मचारी को कदाचार या किसी आपराधिक कियाकलाप में संलग्न पाये जाने पर नियुक्ति प्राधिकारी ऐसी संविदा नियुक्ति समाप्त कर सकेंगें।
11. नियुक्त विषय विशेषज्ञ/कर्मचारी का चरित्र सत्यापन शासकीय सेवकों को लागू नियमों या अनुदेशों के आधार पर किया जावेगा। चरित्र के संबंध में किसी प्रतिकूल निष्कर्ष की दशा में नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा संविदा नियुक्ति बिना कोई कारण बताए रद्द कर दी जावेगी।
12. नियुक्त विषय विशेषज्ञ/कर्मचारी उसके पदस्थापना के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करनें की स्थिति से संविदा में माना जावेगा। यदि संविदा पर नियुक्त कोई व्यक्ति बिना किसी विशिष्ट सूचना के अपने कर्तव्य से एक माह से अधिक समय के लिए अनुपस्थित रहता है तो उसकी संविदा नियुक्ति ऐसी अनुपस्थिति की तिथि से स्वतः समाप्त मानी जावेगी।
13. नियुक्ति के पश्चात् जिले के मुख्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अधिकारी का फिटनेस का चिकित्सा प्रमाण पत्र कार्य पर उपस्थित होने के अधिकतम 07 दिवस की अवधि में अनिवार्यतः प्रस्तुत करना होगा ।
14. नियुक्ति की प्रकिया– चयन समिति द्वारा मेरिट एवं साक्षात्कार के आधार पर की जावेगी ।
15. **आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि** 31.5.17 **समय सांय 4.00 बजे** तक स्वयं अथवा डाक से उप संचालक सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग जिला नीमच में जमा किये जा सकते हैं। उक्त दिनांक 31.5.17 **समय सांय 4.00 बजे** के पश्चात प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों में विचार नहीं किया जायेगा ।
16. अधिक जानकारी के लिये सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण नीमच (जिला पंचायत नीमच) में सम्पर्क किया जा सकता है।

कलेक्टर
जिला नीमच(म.प्र.)

DDRC

आवेदन पत्र का प्रारूप

प्रति,

उप संचालक,
सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग,
(सचिव,जिला विकलांग कल्याण तथा विकास समिति)
जिला नीमच म0प्र0.

नवीन स्वप्रमाणित फोटो

1. पद का नाम जिसके लिए आवेदन किया जा रहा है:– ....
2. आवेदक का नाम :– ....
3. पिता या पति का नाम :– ....
4. जन्मतिथि अंको में :– ....
5. शब्दो में :– ....
6. जाति :– ....
7. स्थायी पता :– ....
8. वर्तमान पता (पत्र व्यवहार का पता) :– ....
9. मूल निवास प्रमाण पत्र (सक्षम अधिकारी द्वारा जारी) :– ....
10. अनुभव का प्रमाण :– ....
11. शैक्षणिक योग्यता :– ....

क्र.	शैक्षणिक योग्यता	बोर्ड/वि0विद्या0 का नाम	संकाय	प्राप्तांक	पूर्णांक	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7

सभी संलग्न किये गये प्रमाण पत्र स्व प्रमाणित होना चाहिये।

आवेदक हस्ताक्षर

पूरा नाम ....

घोषणा–पत्र

मैं, निष्ठापूर्वक घोषणा करता हूँ कि उपरोक्तानुसार जानकारी मेरे द्वारा दी गई वह मेरे विवेकानुसार सत्य है। जानकारी असत्य पाये की दशा में मेरा आवेदन पत्र निरस्त किया जा सकेगा। किसी भी तथ्य के छुपाये जाने अथवा गलत तरीके से प्रस्तुत करने पर मेरी नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी। मैं यह घोषणा करता/करती हूँ कि आवेदित पद पर मेरा चयन होता है तो मैं जिला विकलांग एवं पुर्नवास केन्द्र में एक वर्ष की सेवायें अनिवार्य रूप से दूँगा/दूँगी, इस संबंध का अनुबंध करने को तैयार हूँ।

(जो लागू न हो काट दिया जावे)

हस्ताक्षर आवेदक

DDRC